भारतीय महिलाओं का अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ विवाह से संबंधित मामलों का निपटान कैसे करें

1. क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं मेरे भारतीय मूल के व्यक्ति/अनिवासी भारतीय मंगेतर (दुल्हन/दूल्हा) की पृष्ठभूमि की जांच कर सकता/सकती हूं?

किसी अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति से सगाई या विवाह करने से पहले कृपया आप निम्नलिखित बातों की अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों आदि (भारत और विदेश दोनों में) के नेटवर्क के माध्यम से जांच कर लें :–

1. वास्तव में चित्रित पति/पत्नी की स्थिति विशेषतः निम्नलिखित बातों के संबंध में जांच लें:
   - ✓ उसकी वैवाहिक स्थिति की जांच करें : क्या अविवाहित है, तलाकशुदा है या अलग हो गया है।
   - ✓ रोजगार ब्यौरे : शैक्षिक योग्यता, और पद, वेतन, कार्यालय, नियोक्ताओं का पता और उनकी विश्वसनीयता।
   - ✓ आप्रवासन ब्यौरे : वीजा कैसा है, पति/ पत्नी को अन्य देश ले जाने का पात्र है या नहीं।
   - ✓ वित्तीय अवस्थिति (नियोक्ता द्वारा सत्यापित की जाएगी)
   - ✓ आपराधिक पूर्ववृत, यदि कोई हो तो
   - ✓ पारिवारिक पृष्ठभूमि।

2. पति/पत्नी से संबंधित निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच करें और उनकी एक–एक प्रति अपने और अपने माता–पिता के पास रखें :

   - ✓ वीजा, पासपोर्ट
   - ✓ सामाजिक सुरक्षा संख्या
   - ✓ पोसपोर्ट संख्या
   - ✓ पिछले तीन वर्षों के कर रिटर्नस
   - ✓ विदेश के पते का साक्ष्य

   यदि आप उसकी सूचना आपके मित्रों, संबंधियों के नेटवर्क के माध्यम से पता नहीं लगा सकते हैं तो आप अपने मंगेतर के ब्यौरे/पृष्ठभूमि की जांच करने के लिए सहायता मांगने हेतु जिस देश में आपका अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल का मंगेतर रहता है उस देश की स्थानीय भारतीय एसोसिएशनों/निकायों/गैर–सरकारी संगठनों आदि से सम्पर्क कर सकते हैं।

3. याद रखें कि अनिवासी भारतीयों से विवाह के संबंध में निम्नलिखित बातें बिल्कुल भी न करें :–

- किसी भी ब्यूरो, एजेंट, दलाल या बिचौलिए पर अंधविश्वास न करें।
- किसी भी कारण या किसी भी बहाने से जाली दस्तावेज बनाने या किसी धोखाधड़ी के सौदे के लिए कभी भी सहमत न हों।
- विवाह के जरिये अन्य देश में प्रवास करने के लिए किसी प्रकार की स्कीमों या ग्रीन कार्ड देने के वायदे करने वालों के चक्कर में न फंसे।
- गुप्त रूप से संबंधों को फाइनल न करें। अनिवासी भारतीय से विवाह के बारे में सूचना अपने करीबी और प्रिय लोगों, मित्रों और निकट संबंधियों को बताने से आपको बहुत अधिक सूचना प्राप्त हो सकती है जो आप किसी अन्य तरीके से नहीं जान सकते।
- सिर्फ रजिस्टर्ड विवाह या किसी दूरवर्ती स्थान पर विवाह करने के लिए सहमत न हों।
- विदेश में विवाह करने के लिए सहमत न हों।

2. विदेश जाने के बाद मेरा पति मुझसे दहेज मांग रहा है और मेरे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। मुझे क्या करना चाहिए?

i. सबसे पहले अपने दुर्व्यवहार, गाली–गलौंच या परित्याग को रोकने के लिए अपने अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के पति द्वारा या उसकी ओर से की गई दहेज की मांग या किसी भी अनुचित मांग को स्वीकार करने के लिए आप दबाव में न आएं।

ii. परेशान करने, परित्याग करने, दुर्व्यवहार करने आदि के बारे में स्थानीय पुलिस के पास शिकायत दर्ज करने के लिए सहायता/परामर्श हेतु आप नजदीकी भारतीय दूतावास/कान्सूलावास में जा सकती हैं।

iii. भारतीय दूतावास/कान्सूलावास स्थानीय गैर–सरकार संगठनों के सम्पर्क ब्यौरे प्रदान करने, स्थानीय पुलिस के पास जाने, आपके परिवार/मित्रों आदि जो आपकी मदद कर सकते हैं से सम्पर्क करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।

iv. विदेश में आपके पति के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के लिए कानूनी/वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु भारतीय मिशन से सम्पर्क किया जा सकता है।

3. क्या भारत में विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है?

भारतीय संघ में कुछ राज्यों ने विवाह का पंजीकरण अनिवार्य रूप से करवाने के लिए कानूनों को लागू किया है, ये राज्य हैं : आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, गोआ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। अन्य राज्यों में विवाह का पंजीकरण ऐच्छिक है।

अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति से विवाह के बाद, आपके या आपके पति के देश छोड़ने से पहले आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने विवाह का पंजीकरण जरूर कराना चाहिए। रजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा जारी किए गए विवाह प्रमाणपत्र की प्रति आपके पास और भारत में आपके परिवार के पास भी होनी चाहिए।

कृपया अपने पास पर्याप्त साक्ष्य जैसे, विवाह के फोटो, विवाह का निमंत्रण पत्र, पति के पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या कोई भी अन्य पहचान पत्र साक्ष्य जो विदेश द्वारा जारी किया गया हो, दुल्हा और दुल्हन दोनों के वीजा एड्रस साक्ष्य आदि, रखें।

निम्नलिखित बातों को याद रखें :–

- हर बार विवाह पंजीकरण प्रमाण–पत्र साथ ले जाना चाहिए।
- वीजा जारी करने के लिए दस्तावेजीकरण और अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को स्वयं पूरा करें तथा सभी दस्तावेजों की मूल प्रतियां अपने पास रखें।
- वर्तमान वैवाहिक स्थिति बताते हुए पति/पत्नी का शपथपत्र।
- विदेश में आने से पहले किसी हेल्थ/व्यापक बीमा पॉलिसी के कार्यालय में जाना।
- विदेश में अपना पासपोर्ट और पासपोर्ट की कम से कम एक प्रति अपने पास रखें।

4. अनिवासी भारतीय पति/पत्नी से <u>विवाह करने के बाद</u> भारत छोड़ने से पहले अन्य कौन–कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिएं?

i. पड़ोसियों, मित्रों, संबंधियों, विदेश में अपने पति के नियोक्ता, पुलिस, एम्बूलेंस तथा जहां आप अपने पति के साथ रह रहे हैं उस देश के भारतीय दूतावास या उच्चायोग के सम्पर्क ब्यौरों की सूची अपने पास रखें।

ii. आपके पासपोर्ट, वीजा, बैंक और सम्पति दस्तावेजों, विवाह प्रमाण–पत्र, शादी की फोटो, और अन्य आवश्यक कागजातों और फोन नम्बरों की प्रतियां भारत में और विदेश में अपने माता–पिता या अन्य विश्वास पात्र लोगों के पास रखें।

iii. यदि ये कागजात खो जाते हैं, या आपके पति/पत्नी या ससुराल वालों द्वारा जबरदस्ती आपसे ले लिए जाते हैं या नष्ट कर दिए जाते हैं तो, प्रतियां काम आएंगी। यदि संभव हो तो, इन कागजातों की स्केन की गई साफ्ट प्रतियां अपने पास या किसी विश्वास पात्र के पास रखें।

5. <u>मेरे अनिवासी पति ने मुझे छोड़ दिया है। मुझे क्या करना चाहिए?</u>

i. यदि आपके अनिवासी भारतीय पति ने आपको भारत में छोड़ा है, तो जिस क्षेत्र में आपको छोड़ा गया है उस क्षेत्र के स्थानीय पुलिस स्टेशन में आप पुलिस के पास 498ए भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत क्रूरता के आधार पर तुरंत शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

ii. भारत के बाहर किए गए अपराधों की सी.आर.पी.सी की धारा 188 के आधार पर भारत के क्षेत्र के भीतर किया गया ही माना जाएगा इसलिए, उनके लिए भी आप भारत में ही शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

iii. यदि आपके पति ने आपको विदेश में छोड़ा है या किसी भी तरह से परेशान किया है, तो आप स्थानीय पुलिस के पास जा सकती हैं। विदेश में किसी आपातकाल के मामलें/सहायता प्राप्त करने के लिए आप तुरंत निम्नलिखित से भी सम्पर्क कर सकती हैं :–

- ✓ विदेश में भारतीय दूतावास
- ✓ पति का नियोक्ता
- ✓ स्थानीय भारतीय एसोसिएशन और आपके मंगेतर के निवास क्षेत्र में रहने वाले भारतीयों नागरिकों के नेटवर्क से।
- ✓ उस देश में रहने वाले मित्रों और संबंधियों से।

6. वह कौन सी सावधानियां हैं जो एक नवविवाहित भारतीय महिला को विदेश में बरतनी चाहिएं?

- ✓ आपके निवास के देश में एक बैंक अकाउंट खोलने की कोशिश करें ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में आप उसमें से पैसे निकाल सकें और वित्तीय रूप से स्वत्रंत हों।
- ✓ विदेश के कानूनों और वहां अपने अधिकारों को पढ़े और समझें विशेषतः किसी भी शोषण या अनदेखी के किसी भी रूप के विरूद्ध जिसमें, दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा, निवास परमिट कैसे प्राप्त करें आदि शामिल हैं।
- ✓ विवाह के बाद विदेश में रहने वाले मित्रों और संबंधियों से फोन या ई–मेल के जरिए सम्पर्क में रहें।
- ✓ जहां कहीं आवश्यक हो, विवाह के बाद आप जिस देश में रहते हैं वहां की भाषा सीख लें।

7. क्या विदेश मंत्रालय उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है?

- जी हां। विदेश मंत्रालय दूतावास/कान्सूलावास के पास सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों और कानूनी संगठनों के माध्यम से उनके प्रवासी भारतीय/विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/वित्तीय सहायता देने के लिए एक स्कीम चलाता है।
- ऐसी सहायता विदेश मंत्रालय की ओआईए स्कीम के अंतर्गत, यूएसए, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, और खाड़ी देशों जैसे

ओमान, बहरीन, कुवैत, कतर, केएसए और यूएई में स्थित दूतावासों/कान्सूलावासों के माध्यम से प्रदान की जाती है।

- परित्यक्त भारतीय महिलाओं के लिए स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की राशि विकसित देशों में प्रति मामला 3000 अमेरिकी डालर और विकासशील देशों में 2000 अमेरिकी डालर प्रति मामला है। अधिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित भारतीय दूतावास/कांसूलावास के कल्याण अधिकारी या भारतीय समुदाय अधिकारी से सम्पर्क करें।

8. उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं के लिए स्कीम का उद्देश्य क्या है?

यह स्कीम एक कल्याण उपाय है ताकि विदेश स्थित मिशनों के पास सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन भारतीय मूल की महिलाओं की सहायता की जा सके जिन्हें धोखे से उनके प्रवासी भारतीय पतियों ने छोड़ दिया है।

9. स्कीम के अंतर्गत कौन सहायता प्राप्त करने का पात्र है?

यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के आधार पर उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं या जो विदेश में तलाक का मुकदमा लड़ रही हैं को उपलब्ध होगी :

I. महिला का भारतीय पासपोर्ट धारक होना।
II. महिला की शादी भारत में या विदेश में एक प्रवासी भारतीय या विदेशी के साथ हुई हो।
III. महिला का परित्याग भारत में या विदेश में शादी के 15 वर्षों के भीतर किया गया हो या
IV. तलाक प्रक्रिया उसके प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा शादी के 15 वर्षों के भीतर शुरू की गई हो, या
V. प्रवासी भारतीय/विदेशी पति द्वारा शादी के 20 वर्षों के भीतर एक पक्षीय तलाक लिया गया हो और पत्नी द्वारा रखरखाव और गुजारा भत्ता के लिए केस दायर किया हो।
VI. यह स्कीम उन महिलाओं के लिए नहीं है जिन पर कोई आपराधिक मामला दायर किया गया हो और निर्णय उनके विरूद्ध हुआ हो, बशर्ते कि माता–पिता द्वारा बच्चें के अपहरण संबंधी आपराधिक आरोप न लगे हों और बच्चे की कस्टडी संबंधी निर्णय अभी शेष हों।
VII. इस उद्देश्य के लिए माता–पिता द्वारा "बच्चे के अपहरण" को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि माता–पिता के आपसी समझौते के बिना माता द्वारा बच्चे की अवैध रूप से कस्टडी और फेमेली लॉ रूलिंग के विरूद्ध होना जो बच्चे

को देखभाल, संपर्क और उसके माता या पिता और परिवार पक्ष से दूर करता हो, इसे माता पिता द्वारा बाल अपहरण होना समझा जाएगा।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण होना तब समझा जाएगा जब बच्चे के माता या पिता, उसके रिश्तेदार या परिचित द्वारा बच्चे या बच्चों के साथ देश छोड़ दिया गया हो और ऐसा कस्टडी डिक्री या विजिटेशन ऑर्डर का उल्लंघन करके किया गया हो। अन्य परिस्थिति वह है जब बच्चे को विदेश में छुट्टी के लिए ले जाया जाए और फिर वापस न भेजा जाए तो इसे बाल अपहरण की अवधारणा माना जाएगा।

IX. इस स्कीम के परिप्रेक्ष्य में माता–पिता द्वारा बाल अपहरण के आपराधिक आरोप का अर्थ यह होगा कि एफआईआर या इसके समकक्ष दायर करने के परिणामस्वरूप पुलिस प्राधिकरणों द्वारा माता के विरूद्ध आरोप तय करना।

X. स्कीम के अंतर्गत राहत की इच्छुक भारतीय महिला का अधिवास लाभ प्रदान करने के वास्ते प्रासंगिक नहीं है। आवेदन करने के वक्त महिला का अधिवास अपने प्रवासी भारतीय/विदेशी पति के देश में हो सकता है या भारत में हो सकता है।

XI. वित्तीय आवश्यकता के आधार पर आवेदनों को प्राथमिकता दी जाएगी।

XII. सहायता सीधे ही आवेदक के कानूनी सलाहकार जो संबंधित मिशन/पोस्ट के साथ सूचीबद्ध है को या किसी विदेशी कानूनी संस्था में महिलाओं की ओर से काम करने वाले भारतीय समुदाय एसोसिएशनों/ महिला संगठनों के माध्यम से विदेश स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों के प्रमुखों द्वारा कानूनी और अन्य लागतों को पूरा करने के लिए प्रदान की जाएगी।

XIII. विकसित देशों के मामलें में सहायता की राशि 3000 अमरीकी डॉलर प्रति मामला तक सीमित की गई है और विकासशील देशों के मामलों में यह सीमा 2000 अमरीकी डॉलर प्रति मामला है और इसे आवेदक या सूचीबद्ध भारतीय समुदाय संगठनों/महिला संगठनों/गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से कानूनी परामर्शदाता को जारी किया जाएगा ताकि केस दर्ज करने के वास्ते प्रलेखन और प्रारंभिक कार्य की शुरूआत करने में महिला को सक्षम बनाया जा सके।

10. उनके अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कान्सूलिंग और कानूनी सेवाएं कैसे प्रदान की जाती है?

काउसूलिंग और कानूनी सेवाएं विश्वसनीय भारतीय महिला सगठनों/भारतीय समुदाय एसोसिएशनों और गैर सरकारी संगठनों जो ऐसे सेवाओं के लिए जाने जाते हैं और यूएसए, यूके, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और खाड़ी देशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ सूचीबद्ध हैं के माध्यम से प्रदान की जाती है।

11. क्या स्कीम के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु कोई फार्म है?

विदेश मंत्रालय की वेबसाइट http://mea.gov.in/legal-and-financial-assistance.htm पर एक निर्धारित प्रारूप उपलब्ध है। कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मिशनों/पोस्टों द्वारा प्राप्त आवेदनों की मिशन/पोस्ट के प्रमुख द्वारा नामित अधिकारी द्वारा मामला–दर–मामला आधार पर जांच की जाएगी और फिर मिशन प्रमुख/उप मिशन प्रमुख/पोस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विचार करने के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा।

12. स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है?

कानूनी सहायता मांगने वाले आवेदक को प्रारूप भरकर और हस्ताक्षर करके सभी उचित दस्तावेजों और क) विवाह के प्रमाणपत्र की प्रति, ख) अपने भारतीय पासपोर्ट की प्रति, ग) वार्षिक आय की घोषणा और घ) दर्ज किए गए मुकदमें की वर्तमान स्थिति के ब्यौरें, को भरना होता है जो पूरा होने के बाद संबंधित भारतीय दूतावास/ मिशन/ पोस्ट या विदेश मंत्रालय को भेजा जा सकता है।

भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्राप्त कानूनी सहायता प्रदान करने के वास्ते आवेदनों की जांच मिशन/पोस्ट प्रमुख द्वारा नामित अधिकारी द्वारा की जाएगी जो कि मामला दर मामला आधारित होगी और इसे मिशन प्रमुख/उप मिशन प्रमुख/पोस्ट द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उसके बाद कानूनी और वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करने के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा जाएगा।

13. विदेश मंत्रालय की स्कीम के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किसे संबोधित करना है?

आवेदन निम्नलिखित को संबोधित होने चाहिए :
संयुक्त सचिव, ओआईए–।।
अकबर भवन, चाणक्यपुरी,
नई दिल्ली
दूरभाष नं. 011–24676210
फैक्स : 26882431
ई–मेल : jsoia2@mea.gov.in

14. यदि विदेशी द्वारा धोखाधड़ी, शारीरिक उत्पीड़न और विवाह के झूठे वायदों की कोई तथाकथित घटना घटती है तो उसके विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है?

(i) आप सक्षम क्षेत्राधिकार के न्यायालय में उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। न्यायालय आरोपी व्यक्ति के विरूद्ध सम्मन/नोटिस/वॉरेंट जारी कर सकता है।

(ii) आप विदेश मंत्रालय की ओआईए स्कीम के अंतर्गत कानूनी/वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं यह योजना उनके प्रवासी भारतीय/ विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाएं, या जो विदेश में तलाक की प्रक्रिया का सामना कर रही हैं के लिए उपलब्ध होगी। **स्कीम के अंतर्गत सहायता तभी उपलब्ध है यदि आवेदक विदेशी न्यायालय में मुकदमा करने के लिए अपनी स्पष्ट इच्छा व्यक्त करता है। जैसे कि, स्कीम भारत के भीतर चल रहे मुकदमों के लिए सहायता प्रदान नहीं करती।**

(iii) भारतीय महिला संगठन/ भारतीय समुदाय एसोसिएशनों/ गैर सरकारी संगठन जो उनके प्रवासी भारतीय/ विदेशी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी/ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय मिशनों/पोस्टों के साथ सूचीबद्ध हैं भी आपकी सहायता कर सकते हैं।

(iv) विदेश मंत्रालय, ओआईए की स्कीम के अंतर्गत कानूनी/ वित्तीय सहायता के ब्यौरे और ऐसी एसोसिएशनों/ गैर सरकारी संगठनों की सूची http://mea.gov.in/legal-and-financial-assistance.htm वेबलिंक पर उपलब्ध है।

(v) आप उस देश में स्थित भारतीय दूतावास से भी संपर्क कर सकते हैं।

15- मेरे पति ने विदेशी न्यायालय द्वारा तलाक का एक तरफा निर्णय प्राप्त कर लिया है। मेरे लिए भारत में कौन कौन से कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध हैं?

सन् 1994 में श्रीमती नीरजा सराफ बनाम श्री जयंत सराफ मामले में उच्चतम न्यायालय ने तीन विशिष्टर उपबंधों के माध्याम से महिलाओं के हितों की रक्षा संबंधी विधान पर विचार करने का सुझाव दिया:

I. किसी एनआरआई और किसी भारतीय महिला के बीच भारत में हुई किसी भी शादी को विदेशी न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

II. भारत और विदेश दोनों स्थानों में पति की संपत्ति में पत्नी को पर्याप्त गुजारा भत्ता का प्रावधान किया जाए।

III. भारतीय न्यायालयों द्वारा प्रदान किए गए आदेश को विदेशी न्यायालयों में शिष्टता के सिद्धांत और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 44क जैसे पारस्परिक समझौतों दोनों के आधार पर कार्यान्वित किया जा सकता है जो विदेशी आदेश को कार्यान्वयन योग्य बनाती है मानो यह किसी न्यायालय द्वारा पारित आदेश हो।

16. क) मेरे पति के विरूद्ध आपराधिक प्रक्रियाएं प्रारंभ करने के लिए मैं किसका सहारा ले सकती हूं?

कानून के संगत उपबंधों के तहत सीआरपीसी की धारा 154 (1) के अंतर्गत आप अपने पति के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकती हैं।

ख) धारा 498ए आईपीसी क्या है?

धारा 498ए किसी महिला का उत्पीड़न करने वाले पति या उसके रिश्ते दार से संबंधित है और इसके लिए ऐसी अवधि तक के लिए सजा हो सकती है जिसे बढ़ाकर तीन वर्षों तक किया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ग) यदि पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे तो क्या करें?

आप सीआरपीसी की धारा 154(3) के तहत पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में अभ्यावेदन दे सकती हैं। यदि पुलिस शिकायत दर्ज करने से मना करती है तो आप अपनी शिकायत संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को भेज सकती हैं, जो यदि इस बात से संतुष्ट होता है कि सूचना किसी संज्ञेय अपराध के आयोग का खुलासा करती है तो वह या तो स्वयं मामलें की जांच करेगा या अपने अधीन किसी पुलिस अधिकारी को जांच करने के आदेश देगा।

घ) यदि पुलिस अधीक्षक भी कार्रवाई करने से मना करता है तो क्या करें?

सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत मजिस्ट्रेट के सामने आपराधिक शिकायत दर्ज कर सकती हैं। धारा 190 के तहत शक्ति प्राप्त कोई मजिस्ट्रेट पीड़ित पत्नी द्वारा दायर आपराधिक शिकायत के आधार पर छानबीन का आदेश दे सकता है।

भारत के बाहर पति द्वारा किए गए सभी अपराधों को सीआरपीसी की धारा 188 के कारण भारत प्रदेश के भीतर किया गया माना जाएगा।

17. मैंने 498ए आईपीसी के तहत शिकायत दर्ज की है लेकिन मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मुझे क्या करना चाहिए?

आप घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के तहत आवेदन कर सकती हैं और न्यायालय निवास का आदेश प्रदान करेगा।

घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा के आधार पर सुरक्षा की धारा 27 के आधार पर कोई पीड़ित व्यक्ति या कोई सुरक्षा अधिकारी या पीड़ित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत राहत मांगते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है जो निम्नलिखित स्थानीय सीमा के भीतर होगा :–

क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से रहता है या अपना व्यापार करता है या वहां नियोजित है, या

ख) प्रतिक्रिया करने वाला रहता है या व्यापार करता है या नियोजित है, और

ग) कार्रवाई के कारण ने सक्षम न्यायालय को इस अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा आदेश प्रदान करने और अन्य आदेश प्रदान करने पर पहुंचा दिया है और इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने की कोशिश करता है।

18. मेरा पति भारत में लंबित आपराधिक प्रक्रियाओं में नहीं आ रहा है और न्यायालय ने मेरे पति जो एक भारतीय नागरिक है को गिरफ्तार करने के लिए वॉरेंट जारी किया है। मुझे क्या करना चाहिए ?

1. पासपोर्ट जब्त करने के लिए आवेदन दायर करना। इस संबंध में शाषी नियम नीचे दिए गए हैं :

- पासपोर्ट जब्त करना और निरसन करना पासपोर्ट अधिनियम 1967 की धारा 10 के तहत शासित है। इस प्रकार की जब्त या निरसन के लिए भारत में संबंधित पासपोर्ट प्राधिकरण को सरल अनुरोध के रूप में आवेदन किया जा सकता है क्योंकि इस अधिनियम में कोई प्रोफोर्मा विहित नहीं है।
- उपधारा (3) : पासपोर्ट का निरसन किया जा सकता है यदि, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक को पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी होने के बाद किसी समय भारत में किसी न्यायालय द्वारा नैतिक भ्रष्टसता के किसी अपराध में दो वर्षो से अनधिक अवधि के लिए सजा हुई है ;
- उपधारा (3) (ई) : यदि पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी अपराध के मामले में कार्यवाही भारत में किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित है।
- उपधारा (3) (एच) : 'यदि पासपोर्ट प्राधिकारी की नोटिस में यह लाया जाता है कि उस समय लागू किसी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक के विरूद्ध उपस्थित होने के लिए या गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है या यदि ऐसे न्यायालय द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज धारक के भारत से प्रस्थान का निषेध आदेश जारी किया गया है और पासपोर्ट प्राधिकरण संतुष्ट है कि इस प्रकार का वारंट या सम्मन जारी किया गया है या इस प्रकार का आदेश दिया गया है।'

19. माननीय न्यायालय द्वारा जारी आपराधिक न्याय/आदेश के अनुपालन हेतु मैं किससे सम्पर्क करूं?

गृह मंत्रालय ने विदेश में रहने वाले व्यक्तियों पर सम्मन/नोटिस/न्यायायिक प्रक्रियाओं की सेवाओं हेतु कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं। शिकायतकर्ता अपने वकील की सलाह से इसका अनुसरण "गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश" में कर सकता है। **(link: http://cbi.nic.in/interpol/mha_circ_service_process.pdf)**

न्यायालय का आदेश निम्नलिखित को सम्बोधित होगा :

अवर सचिव (कानूनी), (आईएस-II), गृह मंत्रालय,
एनडीसीसी-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 110001

20. एक महिला अपने अनिवासी भारतीय पति की स्थिति/ठिकाने की खोज कैसे करे?

आप अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों आदि या जहां अनिवासी भारतीय मंगेतर रहता है उस देश के भारतीय एसोसिएशनों/गैर सरकारी संगठनों आदि से सम्पर्क कर सकते हैं। ऐसी एसोसिएशनों की सूची http://mea.gov.in/legal-and-financial-assistance.htm वेबलिंक पर उपलब्ध है।

21. यदि कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को विदेश में, उस देश में छोड़ देता है जहां वे रहते हैं और किसी अन्य महिला से विवाह कर लेता है तो पीड़ित पत्नी को किससे सम्पर्क करना चाहिए?

सबसे पहले आप भारत और विदेश दोनों में रहने वाले आपके परिवार, संबंधियों और मित्रों से सम्पर्क कर सकते हैं और उनकी मदद, सलाह और सहायता मांग सकते हैं।

भारतीय मिशन, अपने सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों, स्थानीय समुदाय एसोसिएशनों के माध्यम से, गैर सरकारी संगठनों से सम्पर्क करने वालों की मुकदमा दायर करने, उनके परिवार से सम्पर्क करने या कानूनी सलाह प्राप्त करने में सहायता कर सकता है।

विदेश स्थित उच्चायोगों/ भारत के महाकान्सूलावासों के साथ सूचीबद्ध गैर सरकारी संगठनों की सूची http://mea.gov.in/legal-and-financial-assistance.htm लिंक पर दी गई है। सहायता के लिए आप इनसे सम्पर्क कर सकते हैं।

22. वर्ष 2005 में लागू किए गए घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में शोषण के विरूद्ध महिलाओं के विशेष अधिकार क्या हैं?

- शारीरिक/यौन उत्पीड़न के विरूद्ध अधिकार (498ए आईपीसी)
- आर्थिक शोषण के विरूद्ध अधिकार (सीआरपीसी की धारा 125)
- परित्याग करने के विरूद्ध मुआवजे का अधिकारी (1994 6 एससीसी 641)
- 5 वर्ष से कम आयु के बच्चें को माता की अभिरक्षा में रखने का अधिकार
- विवाह में दिए गए उपहारों तथा स्त्रीधन को लौटाना का अधिकार
- दहेज के विरूद्ध अधिकार
- क्रूरता, शारीरिक उत्पीड़न, अत्याचार आदि के विरूद्ध अधिकार
- घरेलू हिंसा के विरूद्ध अधिकार (धारा 3)

23. आपसी सहमति से तलाक लेने की क्या प्रक्रिया है?

- यदि तलाक आपसी सहमति से होता है तो कोई आधार देने की आवश्यकता ही नहीं है।
- पति पत्नी को संबंध में होना चाहिए और संयुक्त आवेदन करने के एक वर्ष पहले से अलग–अलग रहना चाहिए।
- 6 महीने की मध्यवर्ती अवधि के बाद न्यायाधीश एक नोटिस जारी करेगा।
- यदि 6 महीने के बाद दम्पति अपना मन नहीं बदलते और अब भी तलाक लेना चाहते हैं तो उन्हें तलाक दे दिया जाएगा।

24. वे कौन से कार्य हैं जिन्हें घरेलू हिंसा कहते हैं और अवैध माना जाता है? कौन से कार्य मानसिक/भावात्मक उत्पीड़न, मौखिक/सामाजिक उत्पीड़न और आर्थिक उत्पीड़न कहलाते हैं?

1. घरेलू हिंसा और कार्य जिन्हें अवैध माना जाता है

पति की ओर से निम्नलिखित कार्य हैं जो घरेलू हिंसा का निर्माण करते हैं और अधिकतर देशों में अवैध माने जाते हैं और जिसके विरूद्ध प्रत्येक देश की स्थानीय पुलिस से सुरक्षा और सहायता मांगने हेतु सम्पर्क किया जा सकता है :

- शारीरिक दुर्व्यवहार
- मानसिक और भावात्मक दुर्व्यवहार
- मौखिक और सामाजिक दुर्व्यवहार
- यौन शोषण
- आर्थिक शोषण

2. मानसिक/ भावात्मक शोषण के उदाहरण

- भयदोहन, बलात्कार, धमकी, दवाब डालना
- महिला पर अनैतिक आचरण का आरोप लगाना
- सार्वजनिक और निजी दोनों रूपों से अपमान करना
- घर का सामान तोड़ना, परिवार के पालतू जानवरों की हत्या करना
- बच्चों और निकट संबंधियों को पीटने या नुकसान पहुंचाने की धमकी देना

3. मौखिक/सामाजिक दुर्व्यवहार के उदाहरण

- गाली–गलौच करना और अपमानजनक नाम से बुलाना
- साथियों और मित्रों के सामने बदनाम करना

- दूसरों के सामने अपमान करना
- उसके माता–पिता, मित्रों और परिवार को गाली देना
- अकेले रहने पर मजबूर करना, शारीरिक कारावास, पारिवारिक सदस्यों से सम्पर्क करने से रोकना, आने जाने पर नियत्रंण लगाना, सामान्यतः दुर्व्यवहार करना

4. आर्थिक उत्पीड़न के उदाहरण

- पूरे परिवार की आय पर नियत्रंण रखना और आय की पहुंच सीमित करना
- रोजगार न करने के लिए दवाब डालना
- वित्तीय रूप से आश्रित रहने का दवाब डालना
- घरेलू खर्चों के लिए पर्याप्त धन न देना
- आय के दुरूपयोग या गबन का आरोप लगाना

25. भारत की भौगोलिक सीमा के बाहर निवास करने वाले व्यक्ति (यों) पर सम्मन/ कारण बताओं नोटिस आदि सहित न्यायिक प्रक्रिया की सेवा की क्या कियाविधि है?

भारत सरकार के व्यापार आवंटन नियम के अनुसार सिविल मामलों में सम्मन/कारण बताओ नोटिस आदि सहित भारत के बाहर न्यायिक प्रक्रिया सेवा, सिविल प्रोसिजर कोड के सांविधिक उपबंधों के अनुसार पारस्परिक व्यवस्थाओं द्वारा विनियमित होती है।

ऐसी अधिसूचित व्यवस्था नहीं होने पर भारत के बाहर न्यायिक प्रक्रियाओं के मामले का निर्णय, विधि और न्याय मंत्रालय (संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली) द्वारा सुसंगत भारतीय नगर निगम कानूनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

इसी प्रकार, भारत सरकार के व्यापार आवंटन नियम के अनुसार सिविल मामलों में, सम्मन/कारण बताओ नोटिस आदि सहित भारत के बाहर न्यायिक प्रक्रिया की सेवा, के लिए गृह मंत्रालय (संयुक्त सचिव (आईएस-II)) एनडीसीसी -II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली – 100001) नोडल मंत्रालय और केन्द्रीय प्राधिकरण है जो आपराधिक कानूनी मामलों में आपसी कानूनी सहायता प्रदान करता है और जिससे सहायता मांगी जा सकती है। गृह मंत्रालय इस प्रकार की सभी शिकायतों को प्राप्त करता है, उनकी जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है।

26. अनिवासी भारतीय विवाहों से उत्पन्न विवादों के संबंध में किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को निर्वासित या (प्रत्यर्पित) किया जा सकता है? भारत से बाहर किसी व्यक्ति को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए प्रत्यर्पित करने की क्या प्रकिया है?

किसी व्यक्ति को निर्वासित/प्रत्यप्रित किया जा सकता है यदि वह किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा किसी आपराधिक मामले में वांटेड है। समान्यता, आपराधिकता उस देश के कानून में कवर होती है जहां आरोपी रह रहा है और उस देश के साथ भारत का प्रत्यर्पण समझौता/व्यवस्था है।

देशों की सूची वेबलिंक http://cbi.nic.in/interpol/extradition_treaties.php. पर उपलब्ध है।

ध्यान दें कि : संबंधित जांच एजेंसी या संगत राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग) उपयुक्त कदम उठाएगा।

प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू की जाती है और स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांतों के आधार पर बातचीत की जाती है।

भारत और 38 देशों के बीच प्रत्यर्पण समझौते हैं नामत: ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बांग्लादेश, बेलारूस, बेल्जियम, भूटान, बुल्गारिया, कनाडा, चिली, मिस्र, फ्रांस, जर्मनी, हांगकांग, कुवैत, मलेशिया, मॉरीशस, मैक्सिको, मंगोलिया, नेपाल, नीदरलैंड, ओमान, पोलैंड, पुर्तगाल, कोरिया गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, स्विटजरलैंड, तजाकिस्तान, तुर्की, ट्यूनीशिया, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज़्बेकिस्तान, यूक्रेन और वियतनाम ।

संबंधित जांच एजेंसी या संगत राज्य पुलिस प्राधिकारियों से प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक अनुरोध प्राप्त होने पर विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग) उपयुक्त कदम उठाएगा।

विवाह/निजी/पारिवारिक झगड़ों के मामलों के लिए उनके विरूद्ध किए गए आपराधिक मामलों में वांटेड व्यक्तियों का प्रत्यर्पण, प्रत्यर्पण के कानून के अनुरूप नहीं है। ऐसे अपराधों में दोहरे आपराधिक मांदण्ड की कमी होती है जो व्यक्ति के निवास के देश से उसका, प्रत्यर्पण करवाने के लिए अनिवार्य है।

27. उन मामलों की श्रेणियां कौन सी हैं जिनमें, जांच एजेंसी लुक–आउट–सर्कुलर का सहारा ले सकती है और किन परिस्थितियों में?

आप लुक आउट सर्क्युलर का सहारा ले सकती हैं जो जांच एजेंसी द्वारा आईपीसी अथवा अन्य दंडात्मक कानूनों के तहत संज्ञेय अपराधों में जारी किया जा सकता है, जहां प्रवासी पति गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद ट्रायल कोर्ट में उपस्थित नहीं होना चाहता है या जानबुझकर गिरफ्तारी और अन्य प्रतिरोधी उपायों से बच रहा है और ट्रायल अथवा/गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपी के देश छोड़कर जाने की संभावना है।

28. लुक आउट सर्कुलर खोलने से पहले जांच एजेंसी द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया क्या है?

एलओसी किसी व्यक्ति को जांच एजेंसी या न्यायालय के सामने समर्पण कराने के लिए प्रतिरोधी उपाय है। एलओसी की पुष्टि करने या निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों का अधिकारक्षेत्र गैर जमानती वारंट के निरस्तीकरण या गैर जमानती वारंट की पुष्टि करने के अनुरूप है।

क) जैसा कि गृह मंत्रालय के सर्कुलर द्वारा अधिसूचित है, जांच अधिकारी **लुक आउट सर्कुलर** के लिए संबंधित अधिकारी को लिखित में निवेदन करेगा जिसमें वह ब्यौरें तथा एलओसी मांगने का कारण बताएगा। सक्षम प्राधिकारी, स्वयं ही इस संबंध में एक आदेश जारी करके, एलओसी खोलने के लिए निर्देश देगा।

ख) एलओसी खोलने हेतु निवेदन निरपवाद रूप से इन अधिकारियों के अनुमोदन से ही जारी किये जाने चाहिए जो निम्न स्तर से नीचे के न हों :

i) उप सचिव, भारत सरकार; या

ii) संयुक्त सचिव, राज्य सरकार; या

iii) संबंधित जिले का जिला मजिस्ट्रेट; या

iv) संबंधित जिले का पुलिस अधीक्षक; या

v) सीबीआई का पुलिस अधीक्षक या सीबीआई में कार्यरत समकक्ष अधिकारी; या

vi) नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में जोनल निदेशक या समकक्ष अधिकारी (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुख्यालय में सहायक निदेशक (ओपीएस) भी शामिल है); या

vii) राजस्व आसूचना निदेशालय या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड में उप आयुक्त या समकक्ष कोई अधिकारी; या

viii) आसूचना ब्यूरो/आप्रवासन ब्यूरो का सहायक निदेशक; या

ix) आरएंडडब्ल्यू का उप सचिव; या

x) राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कोई अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के स्तर से नीचे का न हो, ; या

xi) प्रवर्तन निदेशालय का सहायक निदेशक; या

xii) उत्प्रवास संरक्षी कार्यालय का उत्प्रवास संरक्षी या भारत सरकार का कोई अधिकारी जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो; या

xiii) इंटरपोल का नामित अधिकारी

ग) भारत में किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किए गए निदेश के अनुसार भी लुक आउट सर्कुलर जारी किया जाता है।

29. लाल नोटिस, पीला नोटिस, नीला नोटिस, काला नोटिस, हरा नोटिस, ऑरेंज नोटिस, इंटरपोल– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष नोटिस और पर्पल नोटिस जैसे अलग–अलग नोटिस क्या हैं?

I. **लाल नोटिस :** प्रत्यर्पण या इसी तरह की कानूनी कार्यवाही पर विचार करने के लिए आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी और उनके स्थान का पता लगाने के वास्ते।

II. **पीला नोटिस :** गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने, अक्सर ऐसा नोटिस नाबालिगों का पता लगाने या व्यक्तियों की पहचान में मदद करने जो स्वयं की पहचान करने में असमर्थ हो, से संबंधित होता है।

III. **नीला नोटिस :** अपराध के संबंध में व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधि के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करने में।

IV. **काला नोटिस :** अज्ञात शव के बारे में जानकारी से संबंधित।

V. **हरा नोटिस :** उन व्यक्तियों के बारे में आसूचना और चेतावनी देता है जिन्होंने अपराध किए हैं और ऐसे अपराधों को उनके द्वारा अन्य देशों में भी दोहराने की संभावना है।

VI. **ऑरेंज नोटिस :** एक घटना, व्यक्ति, वस्तु या एक प्रक्रिया के बारे में चेतावनी से संबंधित है जो कि सार्वजनिक सुरक्षा के लिए गंभीर और आसन्न खतरे को दर्शाता है।

VII. **इंटरपोल– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विशेष नोटिस :** इसे उन समूहों और व्यक्तियों के लिए जारी किया जाता है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति के निशाने पर हों।

VIII. **पर्पल नोटिस –** अपराधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीकों, वस्तुओं, उपकरणों और छिपने के तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए।

30. क्या मैं राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्पर्क कर सकती हूं?

जी हां, सहायता के लिए नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग से सम्पर्क किया जा सकता है। राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं के हितों की रक्षा करने और इन्हें बढ़ावा देने के शासनादेश वाला, भारत का नोडल प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय स्तर का सर्वोच्च संगठन है।

- "अनिवासी पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं की दुर्दशा" विषय के संबंध में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की सिफारिश के आधार पर अनिवासी भारतीयों के साथ विवाह से संबंधित मामलों से डील करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग को राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा, ऐसी शिकायतों का निपटान करने के लिए 24 सितम्बर, 2009 को राष्ट्रीय महिला आयोग में एनआरआई सेल का उद्घाटन भी किया गया है।
- सम्पर्क ब्यौरें :
  एनआरआई सेल – राष्ट्रीय महिला आयोग
  4, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग
  नई दिल्ली – 110002
  दूरभाष : +91–11–23234918

फैक्स : +91–11–23236154 / 6988
ई–मेल : nricell-ncw@nic.in

- राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसी महिला पीड़ितों को दुनिया के किसी भी कोने से अपनी शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। शिकायत की प्रकृति के आधार पर प्रभावित महिलाओं की शिकायत का निपटान करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है :

  क. विरोधी पक्ष / पक्षों / संबंधित प्राधिकरणों को यह कहते हुए नोटिस / सम्मन जारी किये जाते हैं कि प्राप्त शिकायत पर वे अपना उत्तर दें या राष्ट्रीय महिला आयोग में उपस्थित हों और शिकायत का उत्तर दें।

  ख. शिकायतों को की गई कार्रवाई की रिर्पोटों के लिए पुलिस प्राधिकरणों को भेजा जाता है जहां कोई मामला जांच के लिए लंबित है या उनकी ओर से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है।

  ग. शिकायतों को विदेश स्थित भारतीय दूतावासों को भेजा जाता है ताकि वे अपनी ओर से वांछित कार्रवाई कर सकें।

  घ. जारी किए गए सम्मनों, वांरटों या उचित न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की सेवा को बढ़ाने के लिए शिकायतों को विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और विधि एवं न्याय मंत्रालय को भेजा जाता है।

  ड. पासपोर्टों से जुड़े मुद्दों के लिए शिकायतों को पासपोर्ट प्राधिकरणों को भेजा जाता है।

  च. यदि आवश्यक हो तो, शिकायतों को प्रतिवादी पति के नियोक्ताओं को भेजा जाता है ताकि वे उसके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर सकें।

31. मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रही हूं। क्या ऑस्ट्रेलिया में ऐसी कोई संस्था है जिससे सहायता के लिए मैं सम्पर्क कर सकूं?

जी हां, सहायता के लिए आप सामाजिक सेवा विभाग, ऑस्ट्रेलियाई सरकार और स्थानीय पुलिस के पास जा सकती हैं।

- ऑस्ट्रेलिया में घरेलू और पारिवारिक हिंसा कानून के विरूद्ध अपराध हैं। कोई व्यक्ति जो ये अपराध करता है जेल जा सकता है चाहे वह कोई पुरूष हो या स्त्री।
- यदि आप या आपका कोई परिचित खतरे में है तो 000 पर पुलिस को कॉल करे। ऑस्ट्रेलिया की पुलिस सेफ है और उस पर विश्वास किया जा सकता है।

- निशुल्क, गुप्त सलाह और सहायता के लिए 1800 RESPECT को 1800 737 732 पर कॉल करें। 1800 RESPECT ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय यौन उत्पीड़न, पारिवारिक एवं घरेलू हिंसा परामर्शी सेवा है। यह गुप्त टेलीफोन और ऑनलाइन परामर्श तथा सूचना मुफ्त प्रदान करती है। परामर्शदाता आपकी बात सुनेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और वे अन्य सहायता सेवा के लिए आपको आपके स्थानीय क्षेत्र में भेज सकते हैं। यदि आपको निशुल्क दुभाषिया की आवश्यकता है तो 131 450 पर कॉल करें।
- घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा में वह व्यवहार या धमकी शामिल हैं जो किसी पुरूष या महिला साथी को उनकी सुरक्षा के लिए डर या खतरा पैदा करके उन्हें नियंत्रित करने के लक्ष्य से दी जाती हैं। घरेलू एवं पारिवारिक हिंसा में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता हैं :–
    - मारना
    - गला घोटना
    - साथी या परिवार को आवश्यक धन देने से मना करना
    - साथी को मित्रों और परिवार से अलग करना
    - साथी को लगातार अपमानित करना या उसकी आलोचना करना
    - बच्चों या पालतु जानवरों को धमकाना

———